uploaded on internet

S.No.213

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवेबोर्ड/RAILWAY BOARD)
***

No. 99/RS(G)/709/1 **New Delhi, dated: 18 .11.2016**

To,

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RWP/Bela

Sub: Ordering on approved/registered sources.

Ref: Board's letter Nos.

i. 99/RS(G)/709/Pt.I dated 06.09.1999 & 16.09.1999
ii. 99/RS(G)/709/1 dated 28.04.2004
iii. 99/RS(G)/709/1 dated 05.05.2006
iv. 99/RS(G)/709/1 Pt.1 dated 29.06.2007
v. 99/RS(G)/779/2 dated 15.10.2007
vi. 99/RS(G)/709/1 dated 06.12.2007
vii. 99/RS(G)/779/2 dated 27.06.2008
viii. 99/RS(G)/709/1 dated 25.02.2009
ix. 99/RS(G)/779/14 dated 03.08.2010
x. 99/RS(G)/709/1/Pt.III dated 18.05.2012
xi. 2003/RS(G)/11/3/Part 3 dated 06.02.2013
xii. 99/RS(G)/709/1/Pt. dated 13.01.2015
xiii. 99/RS(G)/709/2 dated 11.02.2016

---

1. Railway Board vide their letters referred above, have clarified various aspects related to ordering on approved sources, wherever the sources are approved in Part-I and Part-II categories.

2. Issue of maintaining Part-I and Part-II categorization among the approved/registered sources has been considered by Railway Board and it has been decided to do away with such categorization.

3. Consequent upon the above decision:

3.1. Part-I and Part-II categories of vendors, wherever so approved/registered, will stand merged as **"Approved Vendors"** with immediate effect. Fresh vendor directories shall be issued accordingly by the nominated agencies. Similarly, fresh approval/registration of vendors, henceforth, will only be done as approved vendors and any sub-categorization among the approved/registered vendors by approving/registering agencies will cease to exist. Any other instructions of Railway Board, where Part-I and Part-II categorization exist for procurement from approved/registered vendors exist, will stand modified accordingly.

Santosh Mittal

3.2. The next vendor directory will be issued by the respective nominated Production Units or RDSO, for which instructions are being issued separately.

3.3. It may specifically be noted that approval of a vendor only signifies its technical capability to supply the items for which, it has been approved/registered and it is quite likely that such vendors differ in terms of capacity, past-performance etc. The quantities to be ordered on approved sources, therefore, will be decided in terms of instructions contained in Railway Board's letter no. 99/RS(G)/779/2 Pt. dated 11.02.2016 duly considering factors mentioned therein, which include past performance, capacity, delivery requirements, quantity under procurement, nature of item, outstanding order load etc. and the tender conditions in fair, transparent and equitable manner.

3.4. Development of vendors and developmental orders shall continue to be governed by Railway Board's letter no. 99/RS(G)/709/1 dated 13/01/2015. Accordingly, suitable eligibility criteria for consideration of offers for placement of developmental order shall be incorporated in the bid document.

3.5. Minimum 80% of the net procurement quantity (NPQ) shall be ordered on "Approved Vendors".

3.6. It is clarified that approved and registered are one and same thing.

4. Tender conditions may be revised accordingly.

5. These instructions may be made applicable by incorporating revised conditions either while issuing the tenders or by way of issue of corrigendum.

This is issued with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 99/RS(G)/709/1 **New Delhi, dated : 18 .11.2016**

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

Asld

for Financial Commissioner / Railways

No. 99/RS(G)/709/1 **New Delhi, dated : 18 .11.2016**

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors–

a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow

3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 99/RS(G)/709/1 **New Delhi, dated : 18 .11.2016**

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(S), MOS(G)
2. CRB, FC, ME, MTR, MRS, MS, MT, SECY., DG(RS), DG(S&T), DG(Personnel), DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 99/आरएस(जी)/709/1

नई दिल्ली, दिनांक: 18.11.2016

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), कोर

महानिदेशक, अ. अ. एवं मा. सं./लखनऊ एवं
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/वडोदरा

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला,
डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, आरडब्ल्यूपी/बेला

विषय: अनुमोदित/पंजीकृत स्रोतों को आदेश प्रदान करना।

संदर्भ: बोर्ड के पत्र संख्या:

i. 99/आरएस(जी)/709/पार्ट.1 दिनांक 06.09.1999 और 16.09.1999
ii. 99/आरएस(जी)/709/1 दिनांक 28.04.2004
iii. 99/आरएस(जी)/709/1 दिनांक 05.05.2006
iv. 99/आरएस(जी)/709/1 पार्ट.1 दिनांक 29.06.2007
v. 99/आरएस(जी)/779/2 दिनांक 15.10.2007
vi. 99/आरएस(जी)/709/1 दिनांक 06.12.2007
vii. 99/आरएस(जी)/779/2 दिनांक 27.06.2008
viii. 99/आरएस(जी)/709/1 दिनांक 25.02.2009
ix. 99/आरएस(जी)/779/14 दिनांक 03.08.2010
x. 99/आरएस(जी)/709/1/पार्ट.III दिनांक 18.05.2012
xi. 2003/आरएस(जी)/11/3/पार्ट 3 दिनांक 06.02.2013
xii. 99/आरएस(जी)/709/1/पार्ट दिनांक 13.01.2015
xiii. 99/आरएस(जी)/709/2 दिनांक 11.02.2016

----

1. रेलवे बोर्ड ने अपने ऊपर संदर्भाधीन पत्रों के माध्यम से अनुमोदित स्रोतों, जहां कहीं स्रोतों को भाग-I और भाग-II कोटियों में अनुमोदित किया गया हो, को आदेश देने से संबंधित विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है।

2. रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित/पंजीकृत स्रोतों में भाग I और भाग II कोटिकरण को बनाए रखने के संबंध में विचार किया गया है और उसने इस प्रकार के कोटिकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

3. उपर्युक्त निर्णय के परिणामस्वरूप:

3.1 वेंडरों के भाग I और भाग II कोटियां, जहां कहीं इस प्रकार अनुमोदित पंजीकृत हों, तत्काल प्रभाव से "अनुमोदित वेंडर" के रूप में मर्ज हो जाएंगी। नामित एजेंसियों द्वारा तदनुसार नए वेंडर निर्देशिकाएं जारी की जाएंगी। इसी प्रकार अब से बंडरों का नया अनुमोदन/पंजीकरण केवल अनुमोदित वेंडरों के रूप में किया जाएगा और अनुमोदन प्रदान करने वाले/पंजीकरण करने वाले एजेंसियों द्वारा किया गया अनुमोदित/पंजीकृत वेंडरों का कोई उप-कोटिकरण नहीं रहेगा। भाग I और भाग II कोटिकरण के विद्यमान होने की स्थिति के लिए अनुमोदित/पंजीकृत वेंडरों से खरीद से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अन्य अनुदेश तदनुसार संशोधित माने जाएंगे।

AJ OFFICIAL-ORDERING ON APPROVED SOURCES

सन्तोष मित्तल   अशोक

3.2 अगली वेंडर निर्देशिका संबंधित नामित उत्पादन यूनिटों अथवा अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा जारी की जाएगी, जिसके लिए अलग से अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

3.3 यह विशेष रूप से नोट किया जाए कि किसी वेंडर को अनुमोदित करने का आशय केवल उन मदों, जिनके लिए उसे अनुमोदित/पंजीकृत किया गया है, के लिए उसकी सप्लाई करने के लिए तकनीकी क्षमता है और यह बिल्कुल संभावना है कि ऐसे वेंडरों में क्षमता में विगत कार्य-निष्पादन आदि के अनुसार भिन्नता हो सकती है। अत: अनुमोदित स्रोतों को आदेश दी जाने वाली मात्राओं के संबंध में निर्णय, रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.02.2016 के पत्र सं. 99/आरएस(जी)/779/2 पार्ट के अनुसार किया जाएगा और उसमें ऊपर उल्लिखित कारकों, जिसमें विगत के कार्य-निष्पादन, क्षमता, डिलीवरी की जरूरत, खरीद की जाने वाली मात्रा, मद का स्वरूप, पिछले बकाया आदेश का भार आदि और न्यायोचित, पारदर्शी तथा समतुल्यता के आधार पर निविदा की शर्तें शामिल हैं, पर विधिवत् रूप से विचार किया जाएगा।

3.4 वेंडरों को डिवेलप करना और विकासात्मक आदेश, रेलवे बोर्ड के दिनांक 13.01.2015 के पत्र सं. 99/आरएस(जी)/779/1 द्वारा शासित होते रहेंगे। तदनुसार बिड प्रलेख में विकासात्मक आदेश प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के लिए उपयुक्त पात्रता मानदण्ड समाहित किए जाएंगे।

3.5 शुद्ध खरीद मात्रा के न्यूनतम 80% का आदेश "अनुमोदित वेंडरों" को दिया जाएगा।

3.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुमोदित करना और पंजीकरण करना एक ही और समान बात है।

4. निविदा की शर्तों में तदनुसार संशोधन किया जाए।

5. इन अनुदेशों को संशोधित शर्तों को या तो निविदा जारी करके या शुद्धिपत्र जारी करके समाहित करके लागू किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक, रेल भण्डार(सा.)-I
रेलवे बोर्ड

सं. 99/आरएस(जी)/709/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 18.11.2016**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/आरबीएल, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 99/आरएस(जी)/709/1

नई दिल्ली, दिनांक: 18.11.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/आरबीएल/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ और आरडब्ल्यूपी/बेला
2. निदेशक-
   - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद
   - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिज़ली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
   - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
   - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), नेशनल अकादमी ऑफ इण्डियन रेलवे, वडोदरा
   - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे
   - च. भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
3. निदेशक, लोह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुखाड़िया सर्किल, उदयपुर

सन्तोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक, रेलवे भंडार (सा.)-I
रेलवे बोर्ड

सं. 99/आरएस(जी)/709/1

नई दिल्ली, दिनांक: 18.11.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248 और एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन।
2. जनरल सेक्रेटरी, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी, एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन

सन्तोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक, रेलवे भंडार (सा.)-I
रेलवे बोर्ड